

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर

विज्ञप्ति

दिनांक -23.07.2026

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, सुलतानपुर के अनुमोदनोपरांत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, सुलतानपुर में संविदा सफाई कर्मियों के रिक्त 13 पदों पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक-7160/Main-A/Admin.'D' Section/Allahabad; Dated:25,May,2026 द्वारा प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या-1963/VII-Nyaya-2-2000-41G/97 दिनांकित 19.10.2000 एवं शासनादेश संख्या-33/846/VII-Nyaya-2-2024-105G/2021 दिनांकित 09.10.2024 में निहित शर्तों के अधीन संविदा के आधार पर नियत वेतन रु० 8840/- प्रतिमाह की दर से जनपद न्यायालय सुलतानपुर परिसर (मुख्यालय), बाह्य न्यायालय कादीपुर, बाह्य न्यायालय मुसाफिरखाना, ग्राम न्यायालय गौरीगंज व ग्राम न्यायालय अमेठी में रिक्त कुल 13 संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं। शासनादेश संख्या- 1963/VII-Nyaya-2-2000-41G/97 दिनांकित 19.10.2000 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तय किये गये मानकों के अधीन कार्य कराया जाना है। जिसके अन्तर्गत एक सफाई कर्मचारी द्वारा कम से कम पांच न्यायालय कक्षों, तथा उससे सम्बद्ध कार्यालय/शौचालय व विश्राम कक्ष आदि की सफाई कार्य भी अपेक्षित है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त इन सफाई कर्मचारीगण से सम्पूर्ण परिसर/नालियों इत्यादि का भी सफाई का कार्य लिया जाता है। चयनित सफाई कर्मचारी पूर्णतया संविदा पर ही होंगे। आवेदन पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 20.08.2026 को जनपद न्यायालय सुलतानपुर परिसर में होगा जिसमें सभी आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। साक्षात्कार हेतु कोई भी किराया भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त में संबन्धित आवेदन पत्र कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सुलतानपुर से प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर जमा किये जा सकेंगे। सूचना जनपद न्यायालय की वेबसाइट (<http://sultanpur.dcourts.gov.in>) पर भी देखी जा सकती है।

आवेदन हेतु नियम व शर्तें :-

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की आयु आवेदन की अंतिम तिथि तक 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
3. अभ्यर्थी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
4. कार्य संतोषजनक न होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है तथा अनुपस्थिति की दशा में मानदेय काटा जा सकता है।
5. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या जाली दस्तावेज पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को संस्थान के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से कम से कम कक्षा 06 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 06 वीं से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त वरीयता प्रदान नहीं की जायेगी।
8. प्रायोगिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से सार्वजनिक शौचालयों की साफ - सफाई करायी जायेगी।
9. मासिक मानदेय रु० 8840/- के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
10. आवेदन पत्र देने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हो और न ही विचाराधीन हो।

(संस्थापक)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-01, सुलतानपुर
सदस्य, नियुक्ति समिति

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ,
2. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ,
3. अधिशासी अधिकारी , नरगपालिका, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ,
4. अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत सुलतानपुर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ,
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, सुलतानपुर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ,
6. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ,
7. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, सुलतानपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ,
8. नोडल अधिकारी, केन्द्रीयकृत कम्प्यूटर कक्ष , जनपद न्यायालय सुलतानपुर को बेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(संध्या चौधरी)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-01, सुलतानपुर

सदस्य, नियुक्ति समिति

आवेदन पत्र

जनपद न्यायालय सुलतानपुर परिसर (मुख्यालय)/ वाह्य न्यायालय कादीपुर/ वाह्य न्यायालय मुसाफिरखाना /
ग्राम न्यायालय गौरीगंज / ग्राम न्यायालय अमेठी में संविदा सफाई कर्मचारी हेतु आवेदन पत्र
(जिस परिसर के लिए आवेदन कर रहे हों उसको टिक (✓) करें)

- स्वप्रमाणित पासपोर्ट
आकार की फोटो
चस्पा करें

घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्री..... उम्र..... वर्ष, निवासी

..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरि वर्णित उल्लिखित सूचना मेरे निजी ज्ञान में सत्य है, मेरे द्वारा किसी प्रकार के तथ्य को छिपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरी की जाने वाली नियुक्ति निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन सुरक्षित होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा मैं भविष्य में कभी नियमित होने का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम:

पता.....

.....

.....